न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डीं.ओ.) जायल जिला–नागौर

पीठासीन अधिकारी – रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

मुकदमा नं. 06/2021

प्रार्थी :–

1. लादूराम पुत्र आसूराम
   जाति–मेघवाल, निवासी–मेनसर तहसील–सुजानगढ़ जिला–चुरू।

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. भंवरीदेवी पत्नी तिलोकचन्द जाति–ब्राहमण
2. महावीर प्रसाद पुत्र तिलोकचन्द जाति–ब्राहमण
3. माणकचन्द पुत्र तिलोकचन्द जाति–ब्राहमण
4. रामाकिशन पुत्र दुर्गाराम जाति–ब्राहमण
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जायल

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

1. अधिवक्ता श्री गोविन्दराम ढाका प्रार्थी की ओर से।
2. अधिवक्ता श्री रामप्रकाश बेंदा अप्रार्थी संख्या 4 की ओर से।
3. अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही।
4. अप्रार्थी संख्या 5 स्वयं उपस्थित।

दिनांक : 16/08/2024

– : : आदेश : : –

1. प्रार्थना पत्र का संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी का खेत खसरा नं. 1799 रकबा 5.4632 हैक्टैयर मौजा–दूगोली तहसील जायल में स्थित है। प्रार्थी अपने खातेदारी के खेत में आने जाने के लिए वर्षो पुराने रास्ता जो कि खेत खसरा नं. 1800, 2435/1800 में से माफिक नजरी नक्शा (मार्क ए–बी 16 फीट चौड़ाई का)में दर्शाये रास्ते से आते जाते रहे है तथा कृषि कार्य करता रहा है तथा पशुधन इत्यादि लाता ले जाता रहा है, जो मौके पर चलता रहा है। अप्रार्थीगण ने प्रार्थी को खातेदारी की आड़ में खसरा नं. 1800 व 2435/1800 में से नहीं आने जाने की मंशा जाहिर करते हुये धमकी दे रहे है, जबकि खसरा नं. 1799 प्रार्थी की खातेदारी की पुश्तैनी भूमि होने से क़ाननू हक अधिकार प्राप्त है कि वो अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 की खातेदारी भूमि में से अपने खेत में आना–जाना व

16/08/2024
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

सम्पूर्ण कार्य कर सके। प्रार्थी के उक्त खेत में आने जाने के लिए प्रस्तावित उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई नजदीक एवं वैकल्पिक रास्ता नहीं है जिससे वह आना जाना कर सके। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 द्वारा प्रार्थी को आना–जाना बंद करने की ऐलानिया धमकी दी है, जिससे प्रार्थी को खत में आना जाना प्रभावित हो रहा है तथा कृषि नहीं कर पा रहा है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की मंशानुसार सबसे निकटतम कटाणी रास्ते से काश्तकार/खातेदार के लिए अन्य कोई, वैकल्पिक रास्ता नहीं होने तथा काश्तकार/खातेदार को रास्ते की आत्यान्तिक होने पर नियमानुसार डी.एल.सी. दर की 2 गुणा राशि पर दिये जाने का प्रावधान है।

अतः प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के खातेदारी खेत खसरा नं. 1800 व 2435/1800 में से माफिक नजरी नक्शानुसार मार्क ए से बी 16 फीट चौड़ाई में रास्ता स्वीकृत व घोषित किया जावे जिसके एवज में प्रार्थी नियमानुसार डी.एल.सी. दर के अनुसार देय प्रतिफल राशि का भुगतान करने हेतु सहमत है।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 4 की ओर से वकील श्री आर.पी. बैंदा ने वकालातनामा पेश किया तथा इकबालिया जवाब पेश किया। शेष अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के सम्मन पर्याप्त तामील के प्राप्त होने के उपरान्त भी गैर हाजिर रहने से अनुपस्थित रहे, जिसके कारण इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 4 तहसीलदार जायल को प्रकरण हाजा में मौका रिपोर्ट पेश करने हेतु तहरीर जारी की गई।

3. प्रकरण में भू.–अभिलेख मौका रिपोर्ट मार्फत तहसीलदार जायल के जरिये पत्रांक 1004 दिनांक 02.03.2021 को प्राप्त हुई। जिसमें यह अंकित किया है कि प्रार्थी के खेत में आने जाने के लिए वैकल्पिक रास्ता मौजूद है, परन्तु दूर पड़ता है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित व वांछित रास्ता कटाणी रास्ता से नजदीकी रास्ता है। प्रस्तावित रास्ते की भूमि पर कच्चा/पक्का निर्माण नहीं है। प्रस्तावित रास्ते के लिए उपभोग में आने वाली भूमि खसरा नं. 2435/1800 में से 0.0567 हैक्टैयर, खसरा नं. 1800 में से 0.0567 हैक्टैयर आयेगी। प्रस्तावित रास्ते के लिए आने वाले भूमि की डी.एल.सी. दर 17767/– रू. प्रति बीघा है।

4. हस्तगत प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी संख्या 4 ने प्रार्थना पत्र में वर्णित पैराज को जरिये इकबालिया जवाब के स्वीकार किया है। शेष अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये गये है तथा भू.अ. निरीक्षक द्वारा दिनांक 27.02.2021 को रिपोर्ट तैयार करते समय में भी हस्ताक्षर करने से इन्कार किया है। उक्त मौका रिपोर्ट दिनांपक्षकारान की उपस्थिति में तैयार की जाने की पुष्टि मौका रिपोर्ट के पृष्ठ संख्या 3 पर अन्य मौतबिरान के हस्ताक्षर से होती है।

चूंकि उक्त प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251क के तहत है, जो कि संक्षिप्त कार्यवाही (Summary Proceeding) के तहत आते है तथा प्रकरण में अपेक्षित कार्यवाही (मौका रिपोर्ट व अप्रार्थीगण को सूचना) पूर्ण हो चुकी है। अप्रार्थी संख्या 4 का इकबालिया जवाब व अप्रार्थी संख्या 5 तहसीलदार जायल से मौका रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण में किसी प्रकार कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से वकुलाय की सहमति पर बहस अन्तिम हेतु तारीख पेशी नियत की गई।

5. बहस वकुलाय सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित पैराज का पुनः दोहरान करते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी का खेत खसरा नं. 1799 रकबा 5.4632 हैक्टैयर मौजा–दूगोली तहसील जायल में स्थित है। जिसमे वर्षो पुराने रास्ता जो कि खेत खसरा नं. 1800, 2435/1800 में से है, कृषि कार्य पशुधन इत्यादि लाता ले जाता रहा है, जो मौके पर चलता रहा है। अप्रार्थीगण खातेदारी की आड़ में खसरा नं. 1800 व 2435/1800 में से नहीं आने जाने की मंशा जाहिर करते हुये धमकी दे रहे है। प्रार्थी के उक्त खेत में आने जाने के लिए प्रस्तावित उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई नजदीक एवं वैकल्पिक रास्ता नहीं है जिससे वह आना–जाना कर सके। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 द्वारा प्रार्थी को आना–जाना बंद करने की ऐलानिया धमकी दी है, जिससे प्रार्थी को खत में आना जाना प्रभावित हो रहा है तथा कृषि नहीं कर पा रहा है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की मंशानुसार सबसे निकटतम कटाणी रास्ते से काश्तकार/खातेदार के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होने तथा काश्तकार/खातेदार को रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता होने पर नियमानुसार डी.एल.सी. दर की 2 गुणा राशि पर दिये जाने का प्रावधान है। अतः प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के खातेदारी खेत खसरा नं. 1800 व 2435/1800 में से माफिक नजरी नक्शानुसार मार्क ए से बी 16 फीट चौड़ाई में रास्ता स्वीकृत व घोषित किया जावे जिसके एवज में प्रार्थी नियमानुसार डी.एल. सी. दर के अनुसार देय प्रतिफल राशि का भुगतान करने हेतु सहमत है।

उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

6. बहस के दौरान वकील अप्रार्थी संख्या 4 ने जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों तथा बहस में दी गइ दलीलों को स्वीकार किया। वकील अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के जरिये प्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा नं. 1799 में कृषि कार्य हेतु आवागमन के लिए वैकल्पिक रास्ते के अभाव व रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता तथा उक्त प्रस्तावित रास्ते अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होना स्वीकार किया तथा अप्रार्थीगण के खेत खसरा नं. 1800 व 2435/1800 में से प्रस्तावित रास्ता जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की मंशानुसार उपयुक्त है को माफिक नजरी नक्शानुसार स्वीकृत व घोषित किये जाना न्यायसंगत होना कथन किया।

7. पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात् राजस्व रिकॉर्ड, मौका रिपोर्ट तहसीलदार जायल का अवलोकन किया गया साथ ही वकुलाय द्वारा पक्षकारान की ओर से पैरवी करते हुये दी गई दलीलों एवं बहस पर गहनतापूर्वक मनन किया गया। मौका रिपोर्ट दिनांक 02.03.2021 में प्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा नं. 1799 में कृषि कार्य के लिए आने जाने हेतु प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई निकटतम रास्ता नहीं होने का अंकन है, जिसे अप्रार्थी संख्या 4 द्वारा अपने जवाब व बहस में स्वीकार किया है। चूंकि प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 से 3 खेत खसरा नं. 1800 व 2435/1800 में सहखातेदार/काश्तकार दर्ज है के को प्रकरण में अपना पक्ष रखने हेतु जरिये नोटिस सूचित किये जाने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं आना तथा मौका रिपोर्ट भू.अं. निरीक्षक जो कि समस्त पक्षकारान को सूचना जरिये नोटिस दिये जाने के उपरान्त मौके पर उपस्थित होकर तैयार की गई है। जिसपर भी अप्रार्थी संख्या 1 से 3 द्वारा उक्त रास्ता स्वीकृत किये जाने हेतु सहमति/असहमती दी है तथा ना ही भू.अ. निरीक्षक की मौका रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किये है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251क प्रावधान के अनुसार किसी भी काश्तकार/खातेदार को रास्ता की आत्यान्तिक रास्ता की आवश्यकता होने तथा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता का अभाव सिद्ध होने की स्थिति में कटाणी रास्ते से सबसे नजदीकी व कम दूरी के रास्ते के उपभोग में आने भूमि के एवज में डीएलसी दर की दुगुनीं प्रतिकर राशि भुगतान पर रास्ता स्वीकृत किया जाता है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रार्थी के खेत खसरा नं. 1799 मौजा–दूगोली, तहसील–जायल में तहसीलदार जायल के मार्फत प्राप्त मौका रिपोर्ट में प्रस्तावित नक्शे अनुसार कृषि कार्य के लिए कृषि संसाधनों को लाने व ले जाने हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होने तथा प्रार्थी को रास्ते की

उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

आत्यान्तिक आवश्यकता प्रतीत होती है तथा रास्ते का अभाव हस्तगत प्रकरण में सिद्ध पाया जाता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अधीन धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 तहसीलदार जायल से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 02.03.2020 में वर्णनानुसार अप्रार्थी के खेत' खसरा नं. 1800 व 2435/1800 में से माफिक नजरी नक्शा (लालस्याही) एवं तकमीना अनुसार 16 फीट चौड़ाई में वर्तमान नवीनतम डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि के एवज में रास्ता स्वीकृत किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

– : : आदेश : : –

यत् राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251क के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता एवं कृषि प्रयोजनार्थ आने व जाने अथवा संसाधनो को लाने ले जाने के लिए मार्ग का अभाव सिद्ध होने के कारण प्रार्थी के खेत खसरा नं. 1799 के लिए माफिक नजरी नक्शानुसार ग्राम–दुगोली तहसील–जायल के खसरा नं. 1800 व 2435/1800 में से प्राप्त भू.अ. निरीक्षक मौका रिपोर्ट (मार्फत तहसीलदार जायल) दिनांक 02.03.2021 के अनुसार डोटेट मार्क ए–बी–डी–सी के अनुसार 16 फीट चौड़ाई तहसीलदार जायल से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 09.02.2021 प्रकरण में निर्णय का भाग रहेगी।

तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाते है कि वे उक्त ग्राम दूगोली तहसील–जायल के खसरा नं. 1800 व 2435/1800 में से रास्ते के उपयोग हेतु आने वाली भूमि के एवज में प्रार्थी से वर्तमान नवीनतम डी.एल.सी. दर अनुसार 2 गुणा राशि (माफिक मौका रिपोर्ट/तकमीना) प्रभावित खातेदार कृषक को नियमानुसार भुगतान कराने की कार्यवाही माफिक आदेश बाद अपील मियाद के राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट पेश करे। तदनुसार तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 16/06/2021 को मेरे द्वारा सरे ईजलास सुनाया गया।

16/06/2021

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी जायल